<u>न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अयोध्या</u>

उपस्थितः रणंजय कुमार वर्मा...... एच०जे०एस०

<u>दाण्डिक पुनरीक्षण संख्याः 45/2026</u>

[रजिस्ट्रेशन नम्बरः 44/2026]

[CNR No. UPFZ010044012026]

ध्रुव कुमार तिवारी एवं अन्य .....पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश एवं अन्य ....विपक्षीगण

<u>निर्णय</u>

1. प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण, विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय, अयोध्या द्वारा परिवाद संख्या 974/2024, शिखा मिश्रा बनाम ध्रुव तिवारी एवं अन्य में पारित आदेश दिनांकित 02.12.2025 से क्षुब्ध होकर योजित है। आलोच्य आदेश के द्वारा विद्वान अवर न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्तागण को अन्तर्गत धारा 498ए, 323 भा०दं०सं० एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में विचारण हेतु तलब करने का आदेश पारित किया है।

2. संक्षेप में इस पुनरीक्षण के तथ्य निम्नलिखित हैंः–

प्रार्थिनी/विपक्षी संख्या 2 शिखा मिश्रा की तरफ से विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष दं०प्र०सं० की धारा 156(3) के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र विपक्षीगण ध्रुव तिवारी एवं अन्य के विरूद्ध इस अभिकथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थिनी का विवाह दिनांक 15.12.2023 को ध्रुव तिवारी से हुआ था। विवाह में प्रार्थिनी के माता–पिता ने ससुराल वालों को नकद व गृहस्थी का सामान दिया था, किन्तु दिये गये सामानों से प्रार्थिनी के पति व सास सन्तुष्ट नहीं थे और दहेज में बोलेरो गाड़ी की मांग कर रहे थे। ससुराल में दहेज की मांग को लेकर पति, सास मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे और मारते पीटते थे। प्रार्थिनी किसी तरह अपना जीवन यापन करती रही और गर्भवती हो गयी। दिनांक 10/11.06.2024 की रात 11 बजे प्रार्थिनी के पति व सास प्रार्थिनी को लाठी–डण्डे से बुरी तरह मारा पीटा और प्रार्थिनी के पति ने प्रार्थिनी के पेट पर लात से कई बार मारा, जिससे पेट में गम्भीर चोटें आयी। प्रार्थिनी ने पिता

Digitally signed by RANANJAY KUMAR VERMA
Date: 2026.07.09 16:11:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

को फोन किया तो वे उसे विदा कराकर ले गये। प्रार्थिनी की तबियत खराब होने पर जिला अस्पताल आयी, जहाँ पर उसकी चोटों का डाक्टरी मुआयना हुआ। विपक्षीगण के मारने से पेट में पल रहे बच्चे को गम्भीर चोटें आयी और प्रार्थिनी को रक्तस्राव होने लगा तथा बच्चा खराब हो गया। विपक्षीगण कह रहे थे कि अगर बोलेरो गाड़ी नहीं देंगे तो तुम्हें जान से मार डालेंगे। प्रार्थिनी ने घटना के सम्बन्ध में स्थानीय थाने व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सूचना दिया, परन्तु कोई कार्यवाही न किये जाने पर दं०प्र०सं० की धारा 156(3) के अधीन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे मजिस्ट्रेट द्वारा अपने आदेश दिनांकित 17.08.2024 द्वारा परिवाद के रूप में पंजीकृत कर लिया गया।

3. परिवादपत्र के कथनों के समर्थन में बयान परिवादिनी अन्तर्गत धारा 223 भा०ना०सु०सं०, बयान गवाहान चक्रवर्ती मिश्रा एवं शोभा मिश्रा अन्तर्गत धारा 225 भा०ना०सु०सं० अंकित किया गया। विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष विपक्षीगण द्वारा परिवादपत्र के विरूद्ध आपत्ति दिनांकित 09.06.2025 प्रस्तुत करते हुये परिवाद निरस्त किये जाने की याचना की गयी। पत्रावली का सम्यक् परिशीलन करने के पश्चात् विद्वान अवर न्यायालय ने आलोच्य आदेश दिनांकित 02.12.2025 द्वारा पुनरीक्षणकर्तागण को अन्तर्गत धारा 498ए, 323 भा०दं०सं० एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में विचारण हेतु तलब करने का आदेश पारित किया है। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत पुनरीक्षण योजित है।

4. पुनरीक्षणकर्तागण की तरफ से विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष लिये गये आधारों के अतिरिक्त यह तर्क किया गया कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश विधि की दृष्टि में कोई आदेश नहीं है। विपक्षी संख्या 2/परिवादिनी के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० में उल्लिखित कथनों व उसके बयान अन्तर्गत धारा 223 भा०ना०सु०सं० एवं साक्षी पी०डब्लू० 1 चक्रवर्ती मिश्रा, साक्षी पी०डब्लू० 2 शोभा मिश्रा, जो हितबद्ध साक्षी हैं, के कथनों में भिन्नता होने के बावजूद विधि विरूद्ध ढंग से विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश न्याय नियमों के प्रतिकूल है व न्यायिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। उपरोक्त आधारों पर पुनरीक्षण स्वीकार कर आलोच्य आदेश अपास्त किये जाने की याचना की गयी।

5. विपक्षी संख्या 1 राज्य की तरफ से विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा यह तर्क किया गया कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं सुसंगत प्रपत्रों का परिशीलन करने के उपरान्त आलोच्य आदेश पारित किया गया है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं है और विद्वान अवर न्यायालय ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार का उचित रूप से प्रयोग करते हुये आलोच्य आदेश पारित किया है। पुनरीक्षण आधारहीन है एवं निरस्त होने योग्य है।

6. विपक्षी संख्या 2 शिखा मिश्रा की तरफ से मुख्य रूप से यह तर्क किया गया कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। विद्वज्ञवान अवर न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुये आलोच्य आदेश पारित किया गया है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने के पूर्व पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्तगण को सुनवाई हेतु नोटिस निर्गत की गयी, जिस पर पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आये एवं उनकी तरफ से परिवाद के विरूद्ध आपत्ति प्रस्तुत की गयी। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आलोच्य आदेश के द्वारा पुनरीक्षणकर्तागण को अन्तर्गत धारा 498ए, 323 भा०दं०सं० एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में विचारण हेतु तलब करने का आदेश पारित किया गया है। आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है। पुनरीक्षण आधारहीन है एवं निरस्त होने योग्य है।

7. मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश का परिशीलन किया।

8. पुनरीक्षण के स्तर पर पुनरीक्षण न्यायालय को केवल प्रश्नगत आदेश की शुद्धता, वैधता व औचित्यता देखना होता है। पुनरीक्षण न्यायालय का क्षेत्राधिकार बहुत सीमित होता है और नियमित रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

9. यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि तलबी के स्तर पर साक्ष्यों की गहन समीक्षा किया जाना आवश्यक नहीं है। इस स्तर पर मामले का सूक्ष्म परीक्षण नहीं किया जायेगा तथा परिणामों की सम्भाव्यता और असम्भाव्यता पर भी विचार नहीं किया जायेगा। यदि प्रार्थनापत्रों के अभिकथनों से संज्ञेय अपराध कारित किया जाना

प्रतीत होता है और उसका समर्थन पत्रावली पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों से होता है तो तलबी आदेश पारित किये जाने का पर्याप्त आधार है। न्यायालय को प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर केवल इस बात की मीमांसा करनी है कि क्या कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता है अथवा नहीं।

10. विधि व्यवस्था "**Prabhu Dutt Tiwari Vs. State of U.P. and others, 2018(1) RCR (Criminal) 613 (S.C.),** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

> "At the stage of summoning the accused on the basis of a private complaint, all that is required is a satisfaction by the Magistrate that there is sufficient ground to proceed against the accused in the light of records made available and the evidence adduced by the complainant."

11. विधि व्यवस्था **"Shivjee Singh Vs. Nagendra Tiwari and others, AIR 2010 SC 2261"** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

> "The object of examining the complainant and the witnesses is to ascertain the truth or falsehood of the complaint and determine whether there is a prima–facie case against the person who, according to the complainant has committed an offence. If upon examination of the complainant and/or witnesses, the Magistrate is prima facie satisfied that a case is made out against the person accused of committing an offence, then he is required to issue process"

12. विधि व्यवस्था **"U.P. Pollution Control Board Vs. Dr. Bhupendra Kumar Modi and others, 2009 (1) Crimes 216"** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

> "It is settled legal position that at the stage of issuing process, the Magistrate is mainly concerned with the allegations made in the complaint or the evidence led in

support of the same and he is only to be prima facie satisfied whether there are sufficient grounds for proceedings against the accused."

13. विधि व्यवस्था **"Sonu Gupta Vs. Deepak Gupta, (2015) 3 SCC 424,"** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

"At the stage of cognizance and summoning the Magistrate is required to apply his judicial mind only with a view to take cognizance of the offence, or, in other words, to find out whether prima facie case has been made out for summoning the accused persons. At this stage, the learned Magistrate is not required to consider the defence version or materials or arguments nor he is required to evaluate the merits of the materials or evidence of the complainant, because the Magistrate must not undertake the exercise to find out at this stage whether the materials will lead to conviction or not.."

14. यह पुनरीक्षण तलबी आदेश दिनांकित 02.12.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश में पत्रावली पर उपलब्ध परिवादिनी की साक्ष्य अन्तर्गत धारा 223 भा०ना०सु०सं० तथा साक्षीगण चक्रवर्ती मिश्रा व शोभा मिश्रा की साक्ष्य अन्तर्गत धारा 225 भा०ना०सु०सं० के आधार पर पुनरीक्षणकर्तागण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा 498 ए, 323 भा०दं०सं० एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में तलब किये जाने का पर्याप्त आधार पाते हुये उन्हें उक्त धाराओं के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया गया है। अवर न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं०, बयान अन्तर्गत धारा 223 भा०ना०सु०सं० परिवादिनी शिखा मिश्रा, बयान अन्तर्गत धारा 225 भा०ना०सु०सं० साक्षीगण क्रमशः चक्रवती मिश्रा व शोभा मिश्रा के परिशीलन से पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्तगण ध्रुव तिवारी एवं सावित्री के विरूद्ध विपक्षी संख्या 2/परिवादिनी शिखा मिश्रा के साथ प्रताड़ित करने, मारने पीटने व दहेज की मांग किये जाने का अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है।

15. विधि निर्णय, **"Mehmood Ul Rehman Vs. Khazir Mohammad Tunda and others, (2015) 12 SCC 420"** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि–

> "Chapter XV Code of Criminal Procedure deals with the further procedure for dealing with "Complaints to Magistrate". Under Section 200 of Code of Criminal Procedure, the Magistrate, taking cognizance of an offence on a complaint, shall examine upon oath the complainant and the witnesses, if any, present and the substance of such examination should be reduced to writing and the same shall be signed by the complainant, the witnesses and the Magistrate. Under Section 202 of Code of Criminal Procedure, the Magistrate, if required, is empowered to either inquire into the case himself or direct an investigation to be made by a competent person "for the purpose of deciding whether or not there is sufficient ground for proceeding". If, after considering the statements recorded Under Section 200 of Code of Criminal Procedure and the result of the inquiry or investigation Under Section 202 of Code of Criminal Procedure, the Magistrate is of the opinion that there is no sufficient ground for proceeding, he should dismiss the complaint, after briefly recording the reasons for doing so. Chapter XVI Code of Criminal Procedure deals with "Commencement of Proceedings before Magistrate". If, in the opinion of the Magistrate taking cognizance of an offence, there is sufficient ground for proceeding, the Magistrate has to issue process Under Section 204(1) of Code of Criminal Procedure for attendance of the accused."

16. इस प्रकार माननीय न्यायालयों द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में प्रस्तुत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के सन्दर्भ में विद्वान

अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में की गयी अवधारणा विधि सम्मत प्रतीत होती है। आलोच्य आदेश के परिशीलन से स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का न्यायोचित विश्लेषण कर आलोच्य आदेश पारित किया है। आलोच्य आदेश में न तो कोई अशुद्धता है, न कोई अनियमितता है और न ही कोई अवैधानिकता है। विद्वान अवर न्यायालय ने अपने निहित क्षेत्राधिकार का समुचित प्रयोग करते हुये आलोच्य आदेश पारित किया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है। पुनरीक्षण आधारहीन है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

दाण्डिक पुनरीक्षण निरस्त किया जाता है।

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 02.12.2025 की पुष्टि की जाती है।

अवर न्यायालय का अभिलेख वापस हो।

(रणंजय कुमार वर्मा)
सत्र न्यायाधीश
अयोध्या
JO CODE: UP1908

दिनांकः 09.07.2026

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

(रणंजय कुमार वर्मा)
सत्र न्यायाधीश
अयोध्या
JO CODE: UP1908

दिनांकः 09.07.2026